रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)-7

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 1980 (वैशाख 6, 1902)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 1980 (VAISAKHA 6, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	343
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	535
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	469
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .	849
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1147
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	185
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	4527
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	213
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1315
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	65

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	343
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	535
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	469
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	849
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1147
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	185
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service, Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4527
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	213
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1315
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	65

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1980

संकल्प

सं० एच० 11021/22/79-समन्वय—इस विभाग के दिनांक 16 नवम्बर, 1979 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित उच्चाधिकार समिति जिसका गठन इस विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 1979 के संकल्प सं० एच०-11021/22/79-समन्वय के द्वारा किया गया है उसका कार्यकाल दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से अगले 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग—I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा सभी अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाए ।

आर० एन० सक्सेना, उप सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1980

सं० 11/1/80-के०से०-II—सितम्बर, 1980 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदि जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किए जाएंगे ।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघराज्य) क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघराज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचिया (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई, पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, 1962 संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित आदिम आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 अगस्त, 1980 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) सेवा की अवधि :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में एक अगस्त 1980 को उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा (जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा भी शामिल है) के परिणामों के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पणी 1 :—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी 2 :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा ।

टिप्पणी 3 :—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों उन्हें अन्यथा पात्र होने पर

इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में नि:संवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न-श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों।

(2) आयु (क) 1-8-1980 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1930 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामलों में जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर अपनी सेवा (प्रशिक्षण की अवधि समेत, यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जाएगी।

(ग) उपरिलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से, आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और पहली जनवरी 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 71 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xiii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों,

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तथा वह भारत में जुलाई 1975 से पहले नहीं आया हो, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) टंकण परीक्षा :—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध)/अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के के बारे में इस आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर लिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन मे अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप मे अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से,

वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमो के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8 यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।

9. उन उम्मीदवारो को छोड़कर, जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करने हों, बाकी उम्मीदवारो को निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार की अंतिम रूप से दिए गए कुल अंको के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की दो अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारो के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हो।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के लिए आरक्षित रिक्त स्थानो तक नही भरे जा सकें, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर मे छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी :—उम्मीदवारो को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जेमिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारो के नाम शामिल किए जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा ही कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा मे दिए गए उत्तरो के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाये।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप मे तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामो के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नही मिलता जब तक कि संबंधी प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाये कि सेवा मे उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिये उपयुक्त है।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिये सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नही है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० सै० लि० से०/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

के० एल० रामचन्द्रन, उप सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी:—

भाग 1—नीचे परिच्छेद 2 में बताये गये विषयों को कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा वृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिये अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग-1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा:—

विषय		अधिकतम अंक	दिया गया समय
(1) निबन्ध तथा सार लेखन			
(क) निबन्ध	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेखन	50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति		100	2 घंटे
(3) सामान्य ज्ञान		100	2 घंटे

टिप्पणी:—दोनो श्रेणियो अर्थात् के० सं० लि० सेवा और रे० बो० स० लि० से० के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, प्रारूपण तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) मे लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अर्थात् (i) निबन्ध तथा सार लेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन/मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1:—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिये होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिये।

टिप्पणी 2:—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देनी चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3—एक बार रखा गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा और आवेदन-पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी 4—प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिये जायेंगे।

टिप्पणी 5—उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिये जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(1) निबन्ध तथा सार लेखन

(क) निबंध—विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन—सूक्ष्म सार लिखने के लिये सामान्यत अनुच्छेद दिये जायेंगे।

2 टिप्पण व आलेख तथा कार्यालय पद्धति—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यत टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उम्मीदवारों को चाहिये कि इसके लिये कार्यालय पद्धति की नियमपुस्तक (मेनुअल आफ आफिस प्रोसीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियों—रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिये कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की हस्तपुस्तिका और इस प्रयोजन के लिये राज भाषा के प्रयोग में संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

(3) सामान्य ज्ञान—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके लिए किन्हीं पाठ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नहीं अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमतापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 1980

नियम

सं० 6/1/80-के० स० I—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1980 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं —

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) सहायक सामान्य सवर्ग का ग्रेड IV।

(ii) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का ग्रेड IV (सहायक)।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड और

(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1 कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता कर सकता है। वह इनमें से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किया जाना चाहता है, उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

ध्यान दें —उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों, उनकी वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों, जिनके लिए वह प्रतियोगी है, के वरीयता क्रम में परिवर्तन से संबंद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

2 परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है —

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (सघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (सघ राज्य क्षेत्र) अ, 1 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां (सशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (सशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा सशोधित, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अडमान और निकोबार द्वीप-समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां (सशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा सशोधन, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दियू) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4 उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र, आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का न हो। उसे तीन प्रयास से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय से लागू है।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि वह उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 2—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह मान लिया जाएगा कि वह परीक्षा के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 3—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाए/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी 1980 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हुई हो अर्थात् उस का जन्म 2 जनवरी, 1955 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1960 के बाद न हुआ हो।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा 1 जनवरी, 1980 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ नहीं है इस उप नियम के अन्तर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होंगे भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतनमान के ही क्यों न हो।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सदृभाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया उगांडा तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया मलावी जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षाकार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xii) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

नोट:—जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन-पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

जो लो० डि० क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क /स्टेनोग्राफर ग्रेड घ सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त है या जिसका किसी अन्य पद पर स्थानांतरण हो जाता है किन्तु जिस पद से स्थानांतरण हुआ है, उस पर, उसका लियन बना रहता है, वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा-संस्था की डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी I:—ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हो रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II:—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी III:—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों, पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों, उन सबको इस आशय का परिवचन (अन्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा-6 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा/अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, अथवा

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

13 परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए अनुशंसित किये जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसके निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयताक्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा। (द्रष्टव्य : आवेदन-प्रपत्र का कालम 22)।

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

17. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाईपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सके तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाये और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार

नियत किया जायेगा उनकी वेतनवृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिये वेतनवृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा।

18. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाये। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संभावना हो।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है।

21. भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट II में संक्षेप में दी गई है।

ए० एल० राजेन्द्रन, अवर सचिव

परिशिष्ट I

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिये दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
		घण्टे
1. निबन्ध	100	2
2. अंग्रेजी—दो भागों में (I और II)	200	3
भाग I		1
भाग II		2
3. अंकगणित	100	2
4. सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल भी सम्मिलित है	100	2

2. अंग्रेजी भाग I अंक गणित और सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्नपत्रों में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जायेंगे। ब्यौरे और प्रश्न पत्र के नमूने के लिये कृपया आयोग के नोटिस के साथ संलग्न अनुबन्ध II पर उम्मीदवार—सूचना-पुस्तिका देखें।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है।

4 उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 या प्रश्न पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। निबन्ध, अंकगणित तथा सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जायेंगे।

नोट 1:—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा उसी प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिये नहीं।

नोट 2:—उक्त प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 14 में स्पष्ट रूप से करना चाहिये नहीं तो यह समझा जायेगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार लिया गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जो उम्मीदवार किसी या किन्हीं प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प दे चुके हैं वे अगर चाहें तो हिन्दी की तकनीकी शब्दावली यदि कोई हो, के साथ साथ अंग्रेजी पर्याय भी दे सकते हैं।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हांक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

7. केवल सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखाई के कारण प्रत्येक विषय के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिये जायेंगे।

9. निबंध तथा अंग्रेजी भाग II में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष श्रेय दिया जायेगा।

10. प्रश्न पत्रों में, जहां आवश्यक हो, तोलों और मापों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. निबन्ध :—दिये गये विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

(2) अंग्रेजी

अंग्रेजी भाग I:—प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा इस भाषा में सही तथा प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का पता चल सके।

अंग्रेजी भाग II:—प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनसे उम्मीदवारों की अच्छी अंग्रेजी—लेखन तथा सार लेखन की सामर्थ्य का पता चल सके।

(3) अंकगणित:—संख्याओं, आरेखों, प्रारम्भिक सांख्यिकी तथा अंक गणित के ज्ञान पर अधिक बल दिया जायेगा।

4. सामान्य ज्ञान :—जिनमें भारत का भूगोल भी शामिल है।

सामाजिक घटनाओं का ज्ञान जो कुछ हम प्रतिदिन देखते हैं और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान जो एक साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिये जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिये इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक कौंसलर एवं वाणिज्यिक मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सम्मिलित हैं। ग्रेड IV के नीचे के ग्रेडों को छोड़ कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्न लिखित हैं :—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड I	मुख्यालयों में अवर सचिव, विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 1200-50-1600
समेकित ग्रेड II और III	मुख्यालयों में सहचारी (अताशे) और अनुभाग अधिकारी विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उप कांसुल और रजिस्ट्रार	रु० 650-30-740-35-810-रु० रो०-35-880-40-1000 रु० रो०-40-1200
ग्रेड IV	मुख्यालयों में तथा विदेश मिशनों और केन्द्रों पर सहायक	रु० 425-15-500-रु० रो०-15-560-20-700 रु० रो०- 25-800

टिप्पणी—समेकित ग्रेड II और III में पदोन्नति सहायकों को कम से कम 710/- रुपये मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। प्रशिक्षण के दौरान सन्तोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किये गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहे भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किये जाएं सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्य जब भारत में नियुक्त हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त कर दिये जाते हैं तो कुछ ऐसी रियायतें पाने के हकदार होंगे—जो इस प्रकार के लाभ के लिये सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दी जाती हैं जैसे विदेश भत्ता निःशुल्क फर्नीचर युक्त निवास स्थान बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता, और उनके तथा उसके परिवार आदि के लिये यात्रा भाड़ा इत्यादि। ये रियायतें ऐसे सामान्य निर्णयों के अनुसार जो कि सरकार देती है वापस ली जा सकती हैं, संशोधित की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकती हैं।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाये और उक्त सेवा पर लागू करे।

7. भारतीय विदेश सेवा (ख), के सामान्य संवर्ग सहायक के ग्रेड IV में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा) ख (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली 1964 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों के पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

नोट :—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड I के अधिकारियों के लिये भारतीय विदेश सेवा (क) के रु० 1200 (छठा वर्ष अथवा उससे कम)-50-1300-60-1600-द० रो०-60-1900-100-2000 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिये सीमित कोटा उपलब्ध है।

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित 4 ग्रेड हैं :—

1. चयन ग्रेड (उपसचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000।

2. ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी—रु० 1200-50-1600।

3. अनुभाग अधिकारी ग्रेड —रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-1200।

4. सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

टिप्पणी:—अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति सहायक कम से कम 710/- रु० प्र० मा० वेतन प्राप्त करते हैं। सहायक के रूप में सीधे भर्ती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परीक्षायें देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे। यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें और परीक्षाएं पास न कर सकें तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की तरह अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते हैं।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस नियमों के अन्तर्गत भर्ती हुए अधिकारी—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(ii) गैर-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उक्त निधि में अंशदान करेंगे जोकि रेल कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते हैं।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पास और पी० टी० ओ० के हकदार होंगे।

जहां तक छुट्टी/और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किये गये कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

(iii) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं :—

(1) चयन (सेलेक्शन) ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1500-60-1800-100-2000।

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड —रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

(4) सहायक ग्रेड —रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

नोट:— जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति किये जाते हैं, उन्हें कम से कम 710 रु० प्रति मास वेतन दिया जायेगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जायेगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षायें पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षायें पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उनका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किये गये सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
(1) चयन ग्रेड संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप क)	रु० 1500-60-1800।
(2) सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप-क)	रु० 1100-50-1600।
(3) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप ख राजपत्रित)	रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।
(4) सहायक (ग्रुप ख अराजपत्रित)	रु० 425-15-500-द० रो० 15-560-20-700-द० रो० 25-800।

नोट (1) सहायक ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में पदोन्नत होने पर सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 710/— रुपये का आरम्भिक वेतन दिया जायेगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा में रखा जायेगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षायें पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षायें पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उनका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किये गये सहायकों को किसी सेना मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल हो रहे अन्तर सेना संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जायेगा। तथापि उन्हें किसी भी समय इसी प्रकार के किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गये हैं, उनका ऐसी नियुक्ति के उपरान्त, इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1980

संकल्प

फा० सं० ए०-11013/194/79-प्रशा०-4—दिनांक 28-9-1978 के संकल्प सं०ए-11013/181/77-प्रशा०-4 के पैराग्राफ 4, संकल्प सं० ए-11013/181/77-प्रशा० 4 दिनांक 26 मार्च 1979, संकल्प सं० ए-11013/181/77-प्रशा० 4 दिनांक 23 अगस्त, 1979 तथा संकल्प सं० ए-11013/194/79-प्रशा० 4 दिनांक 27 दिसम्बर 1979 में निहित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट देने सम्बन्धी योजना (पुनरीक्षण) समीति को अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1980 तक पेश करने का समय दे दिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए और इसे सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शैलेन्द्र कुमार, अवर सचिव

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1980

संकल्प

सं० 4(13)/79-एफ० डी० ए०-I—सरकार ने उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य पद्धति का संचालन और उसे लागू करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संकल्प संख्या 166/23/77/एफ० डी० ए० दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के माध्यम से उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ० आई० सी० सी०) का गठन किया था । इसके दो सदस्यों अर्थात श्री के० सी० शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और श्री पॉल पोथेन, प्रबन्ध निदेशक, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लि० का कार्यकाल समाप्त होने से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित दो व्यक्तियों को मनोनीत किया जाए :—

(1) डा० पी० के० नारायणस्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०, उद्योग मण्डल (केरल) ।

(2) श्री पॉल पोथेन, प्रबन्ध निदेशक, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लि० (आई० एफ० एफ० सी० ओ०), नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आ० म० केलकर, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1980

संकल्प

सं० 3-46/79-एफ० 2—भारत सरकार ने चेथम स्थित आरा मिल का व्यापक अध्ययन करने तथा मिल का सुधार करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1.	महावनपाल, अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर ।	अध्यक्ष
2.	उप वनमहानिरीक्षक, कृषि तथा सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	वनपाल (डी०), पोर्ट ब्लेयर ।	सदस्य
4.	उपवनपाल (एम० डी०), चेथम ।	सदस्य सचिव
5.	श्री हरि कांत, आन्वरो मेमर फेलो ।	सदस्य
6.	श्री पी० पटनायक, मुख्य काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण, केन्द्र परियोजना ।	सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

अन्डमान तथा निकोबार द्वीप में स्थित चेथम आरा मिल में लगी मशीनों का व्यौरेवार अध्ययन करना और मशीनों का आधुनीकीकरण करने के लिए मरम्मत तथा छोटे कलपुर्जों को बदलने के विषय में विचार करना ।

3. समिति इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 3 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति गृह मंत्रालय, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय, अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन योजना आयोग, महावनपाल, अन्डमान तथा निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जी० नायक, अवर सचिव

ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय

सिंचाई विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1980

संकल्प

सं० बा० नि० 52/6/78—बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्यक्रमों और तरीकों का अध्ययन करने और बाढ़ नियंत्रण की समस्या के प्रति समन्वित एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के संकल्प संख्या बा० नि० 52(1)/76, दिनांक 2 जुलाई, 1976 द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी । आयोग की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई थी । इसकी अवधि पिछली बार सिंचाई विभाग के संकल्प संख्या बा० नि० 52(5)/78, दिनांक 14 जनवरी, 1980 के द्वारा 31 मार्च, 1980 तक बढ़ाई गई थी ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 21 मार्च, 1980 को प्रस्तुत करने पर, आयोग 31 मार्च, 1980 के पूर्वाह्न से समाप्त हो गया । लेकिन, सिंचाई विभाग की स्वीकृति संख्या बा० नि० 52 (5)/78, दिनांक 13 और 31 मार्च, 1980 में स्वीकृत स्केलटन स्टाफ रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने पर अवशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए 30 जून, 1980 तक कार्य करता रहेगा ।

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी भेजी जाए ।

इन्दर प्रकाश कपिला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi, the 28th March 1980

RESOLUTION

No.11021/22/79-Coord.—In continuation of this Department's Resolution of even number dated the 16th November, 1979, the Government of India have decided to extend the term of the high-powered Committee to review the Functions of National Statistical System constituted *vide* this Department Resolution No. H-11021/22/79-Coord. dated the 7th July, 1979 for a further period of three months w.e.f. 1st April, 1980.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazettee of India, Part I, Section I.

Ordered also that copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments to the Govt. of India/all State Governments/administrations of Union Territories and all other concerned.

R. N. SAXENA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 26th April 1980

No. 11/1/80-CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and Railway Board Secretariat Clerical Service to be held by the Staff Selection Commission in September, 1980 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Schedule Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, and Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service who on the 1st August, 1980 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) *Length of Service.*—He should have on the 1st August 1980 rendered an approved and continuous service of not less than 5 year's in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service :

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service on the results of the Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than five years' before the crucial date and he should have rendered not less than four years' approved and continuous service in that Grade.

Note 1.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidadte is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service.

Note 2.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962 namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

Note 3.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service.

(2) Age—

(a) He should not be more than 50 years of age on 1-8-1980 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1930.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January 1968, and who has reverted therefrom to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (But before 25th March, 1971).

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a Disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) up to a maximum of three years if the candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July 1975; and

(xv) up to a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975;

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(3) *Typewriting Test*—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing)/Subordinate Services Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or, selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provision in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in two separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recomended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service or otherwise quits the Service of severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the C.S.C.S./R.B.S.C.S. will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. L. RAMACHANDRAN,
Deputy Secretary

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II.—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subject	Maximum Marks	Time Allowed
(i) Essay and Precis Writing		
(a) Essay	50 } 100	2 Hours
(b) Precis-Writing	50 }	
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100	2 Hours
(iii) General Knowledge	100	2 Hours

Note.—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the two categories, viz., C.S.C.S. and R.B.S.C.S.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

Note 1.—The option will be for a complete paper and not for different question in the same paper.

Note 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

Note 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

Note 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

Note 5.—No credit will be given for answers written in a language other than the one by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing.—Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting and Drafting and Office Procedure.—The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service are required to study the manual or Office Procedure—Notes on Office Pocedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Service are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

3. General Knowledge.—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc

Rules

No. 6/1/80-CS(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1980 for the purpose of filling vacancies in the following Service/posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B).

(ii) Grade IV (Assistants) of the Railway Board Secretariat Service.

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India

not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/ Armed Forces Headquarters Civil Service

1. A candidate may complete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/Posts for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of declaration of the results of the written examination

2. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951 (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes, Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b) (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination The restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 3.—Notwithstanding the disqualification/cancellation, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6 (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January 1980 i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1955 and not later than 1st January, 1960.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade D with not less than 3 years' continuous and regular service on 1st January, 1980 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDC/UDC/Stenographers Grade D will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scales.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person, from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE.—The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

An L.D.C./U.D.C./Stenographers Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees will also be eligible for admission to the examination.

NOTE II.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commissions examination but have not been informed of the result as also the candidates who intended to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE III.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, Justified his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commissions Notice.

12. candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for the candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or, as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination :

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application. (of col. 22 of the application form).

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their faliure to pass the test within the prescribed periods they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or.

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

20. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service, and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

A. L. RAJENDRAN
Under Secy.

APPENDIX I

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

		Max. Marks	Time Allowed
1.	Essay	100	2 hours
2.	English in two parts (I & II) .	200	3 hours
	Part I		one hours
	Part II		two hours
3.	Arithmetic	100	2 hours
4.	General Knowledge including Geography of India . .	100	2 hours

2. The question papers in English Part I, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India will consist of objective type questions; for details including sample questions please see Candidates' Information Manual (Annexure II) appended to Commission's Notice.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper I or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers, either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates. Question papers in Essay, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India, will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col. 14 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Candidates who opt to answer any of the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within backets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maxmum marks for each subject will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with the economy of words in Essay and English Part II of the examination.

10. In the queston papers, wherever necessary, questons involving the Metric System of weights and measures only will be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) English :

English Part I—Papers will be designed to test the candidates' ability to understand English and write in that language correctly and effectively.

English Part II—Paper will consist of questions designed to test candidates' ability to write good English and for precis-writing.

(3) *Arithmetic*—There will be greater emphasis on understanding of numbers, graphs, elementary statistics and arithmetics.

(4) *General Knowledge including Geography of India*—Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature, which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) *Indian Foreign Service (B).*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :—

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I . .	Under Secretaries at Hqrs. First ann Second Secretaries in Missions and post abroad	Rs. 1200-50-1600
Integrated Grades II & III	Attache and Section Officer at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.
Grade IV .	Assistants at Hqrs & in Missions and Posts abroad.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

NOTE : Assistants promoted to the Integrated Grades II & III are allowed a minimum pay of Rs. 710/- p.m.

2. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the IFS(B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by other rules and regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE : In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 1200 (Sixth year or under)-50-1300-60-1600-EB-60-1900-100-2000.

(ii) *The Railway Board Secretariat Service*

The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows

1. Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) Rs. 1500-60-1800-100-2000.
2. Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 1200-50-1600.
3. Section Officers Grade.—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.
4. Assistants Grade.—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE : Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum of Rs. 710 p.m.

Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient Progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistants Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) Will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join the service.

The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 1200—50—1600.

(3) Section Officers Grade—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—40—1200.

(4) Assistants' Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 710 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed, to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

Grade	Scale of Pay
(1) Selection Grade (Joint Director or Senior Civilian Staff (Officer) (Group A).	Rs. 1,500-60-1800.
(2 Civilian Staff Officer (Group A)	Rs. 1100-50-1600.
(3) Assistant Civilian Staff Officer) (Group B—Gazetted)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.
(4) Assistant (Group B—Non-Gazetted	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

NOTE.—An Officer of the Grade of Assistant promoted to Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710/- in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 5th April 1980

RESOLUTION

No. A-11013/194/79-Ad.IV.—In partial modification of the orders contained in Para 4 of the Resolution No. A-11013/181/77-Ad.IV dated 28-9-78, Resolution No. A-11013/181-77-Ad.IV dated 26-3-79, Resolution No. A-11013/181/77-Ad.IV dated 23-8-79 and Resolution No. A.11013/194/79-Ad. IV dated 27-12-1979 the Government of India have allowed extension of time upto the end of April, 1980 to the Central Excise Sugar Rebate Scheme (Review) Committee to submit its report.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

S. KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

New Delhi, the 22nd March 1980

RESOLUTION

No. 4(13)/79-FDA-I.—Government had constituted the Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) to administer and operate the system of retention prices for fertiliser *vide* Ministry of Chemicals and Fertilizers Resolution No. 166/23/77-FDA dated 1st December, 1977. Following the expiry of the term of two of its members, namely, Shri K. C. Sharma, Chairman and Managing Director, Fertilizer Corporation of India and Shri Paul Pothen, Managing Director, Indian Farmers Fertilizer Cooperatives Ltd., the Government have decided to nominate the following two persons as members of the Fertilizer Industry Coordination Committee for the period ending 31st December, 1981 :

(1) Dr. P. K. Narayanaswamy, Chairman and Managing Director, Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Udyogamandal, (Kerala).

(2) Shri Paul Pothen, Managing Director, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. KELKAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 3rd April 1980

RESOLUTION

No. 3-46/79-F.II.—The Government of India have decided to appoint a Committee to study the machineries at Chatham Saw Mill in detail and recommend suitable measures for improving the mill. The Committee will consist of the following :—

1. Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair. — Chairman

2. Deputy Inspector General of Forests, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi. — Member